

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईवतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 253/2025

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

बलवंती पत्नी कालूराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. नारायणी देवी पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
2. करनैल सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया।
3. गुरचरणसिंह पुत्र बसाखा सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया।
4. गुरतेज सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया।
5. गुरनामकौर पत्नी कपूर सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया।
6. गुरप्रेम सिंह पुत्र बसाखा सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया।
7. जसविन्द्र सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया।
8. जसवीर सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया।
9. प्रदीप सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया।
10. राजतेज पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया।
11. हजूर सिंह पुत्र माडा सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया।
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया।



प्रतिवादीगण

दिनांक :- 6-2-2024

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानियां वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री प्रमोद डेलू वकील प्रति.सं. 1 जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- 1 एचआरपी

1. बलवंती पत्नी कालूराम पूर्ण हिस्सा जाति जाट सा.हरिपुरा खातेदार राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हरिपुरा प.न. 203/121 मु.न. 52 किला नं. 11,20,21/0.759 प.न. 202/122 मु.न. 58 किला नं. 5/1/0.202, 5/2/0.026 रास्ता, 5/3/0.025 रास्ता, 6/1/0.127, 6/3/0.014 रास्ता, कुल 1.153 है. नहरी 1.088 है. रास्ता 0.065 है.
2. नारायणीदेवी पत्नी बृजलाल पूर्ण हिस्सा जाति कुम्हार सा.हरिपुरा खातेदार प.न. 203/121 मु.न. 52 किला नं. 24/0.253, 25/1/0.228, 25/2/0.025, खाला, प.न. 204/121 मु.न. 53 किला नं. 21/0.253, प. न. 204/122 मु.न. 56 1,10,11/0.759, प.न. 203/122 मु.न. 57 किला नं. 4/1/0.228, 4/2/0.025 रास्ता, 5/1/0.202, 5/2/0.026 रास्ता 5/3/0.025 खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 खाला, 15/1/0.228, 15/2/0.025 खाला, कुल 2.530 है. नहरी 2.379 है. रास्ता 0.051 है खाला 0.10 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/87 दिनांक 12.01.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसवत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.2.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया